UPBG010027112022

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/न्यायालय संख्या- 01, बागपत।
उपस्थितः पूनम राजपूत, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे० ओ० कोड- यू०पी० 6104
सत्र परीक्षण कम्प्यूटर संख्या - 650/2022

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजक।

बनाम

सुभाष पुत्र प्रेम सिंह, निवासी ग्राम फैजुल्लापुर, थाना बागपत, जनपद बागपत।

..........अभियुक्त।

मु०अ०सं०- 707/2021
अन्तर्गत धारा- 323, 504, 506, 307 भा०दं०सं०
थाना- बागपत, जिला बागपत।

संक्षिप्त विवरण

वादी	उत्तर प्रदेश राज्य
राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व	श्री गगन गौड
अभियुक्त	सुभाष
अभियुक्त की ओर से प्रतिनिधित्व द्वारा अधिवक्ता	अधिवक्ता श्री अमित कुमार
घटना की तिथि	दिनांक 31.07.2021
प्रथम सूचना अंकित किये जाने की तिथि व समय	दिनांक 31.07.2021, समय 21:30 बजे
आरोप-पत्र प्रेषण की तिथि	30.10.2021
न्यायालय में प्रसंज्ञान की तिथि	30.10.2021
सत्र सुपुर्दगी	21.05.2022
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	28.07.2022
धारा 313 दं०प्र०सं० के बयान की तिथि	26.02.2026
निर्णय की तिथि	10.03.2026

अभियोजन, अभियुक्त एवं न्यायालय साक्षियों की सूचीः-

(1) अभियोजन पक्षः-

क्रम संख्या	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार**
पी०डब्ल्यू०-1	राजीव	वादी मुकदमा

Digitally signed by Poonam Rajput
Date: 2026.03.10 17:17:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पी०डब्ल्यू०-2	प्रशान्त	चुटैल
पी०डब्ल्यू०-3	उप-निरीक्षक सचिन कुमार	विवेचनाधिकारी

अभियोजन, अभियुक्त एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्शः-

क्रम सं०	**प्रदर्श संख्या**	**प्रकार**
1	प्रदर्श क-1/पी०डब्ल्यू० 01	तहरीर रिपोर्ट कागज संख्या 4 अ/4
2	प्रदर्श क-2/पी०डब्ल्यू० 03	फर्द बरामदगी एक अदद फरसा कागज संख्या 6 अ
3	प्रदर्श क-3/पी०डब्ल्यू० 03	नक्शा-नजरी कागज संख्या 8 अ/1
4	प्रदर्श क-4/पी०डब्ल्यू० 03	आरोप-पत्र संख्या-691/21 कागज संख्या 3 अ/1 ता 3 अ/4
5	प्रदर्श क-5	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज संख्या 4 अ/1 ता 4 अ/3
6	प्रदर्श क-6	जी०डी०नं०-61 कागज संख्या 5 अ
7	प्रदर्श क-7	सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट कागज संख्या 7 अ/2
8	प्रदर्श क-8	चुटैल प्रशान्त की चिकित्सीय आख्या कागज संख्या 7 अ/3

निर्णय

1- अभियुक्त **सुभाष** के विरुद्ध मु०अ०सं० 707/2021, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 307 भा०दं०सं० के अपराध में थाना बागपत, जनपद बागपत की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप-पत्र पर तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा आहूत कर परीक्षित किये जाने हेतु दिनांक 21.05.2022 को पत्रावली सत्र न्यायालय के सुपुर्द की गयी। जहाँ से अन्तरण के उपरान्त यह पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई और इसका परीक्षण प्रारम्भ किया गया।

2(क)- अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राजीव पुत्र रामनिवास, निवासी फैजुल्लापुर, थाना बागपत, जनपद बागपत की ओर से दिनांक 31.07.2021 को थाना बागपत पर एक लिखित तहरीर कागज संख्या 4 अ/4 **प्रदर्श क-1** इस आशय के साथ दी गई कि "...दिनांक 31.07.2021 को समय करीब 7 बजे प्रार्थी का चचेरा भाई खेत से घर आ रहा था तो रास्ते में सुभाष पुत्र प्रेम सिंह निवासी मिला व प्रार्थी के भाई को देखकर गाली-गलौच करने लगा प्रार्थी के भाई ने गाली देने से मना किया तो सुभाष ने प्रार्थी के भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी वहाँ पर मौजूद लोगों ने प्रशान्त को छुड़ाया तो सुभाष वहाँ से जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया तथा थोड़ी देर बाद अपने घर से तलवार उठाकर लाया और प्रार्थी के प्रशान्त पुत्र रमेश के ऊपर तलवार से हमला कर दिया जिससे प्रार्थी के भाई को गम्भीर चोट आयी। प्रार्थी अपने भाई को लेकर थाने रिपोर्ट लिखाने आया है।..." उपरोक्त के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत हुआ।

(ख)- वादी मुकदमा द्वारा दी गई उक्त तहरीर **(प्रदर्श क-1)** के आधार पर थाना बागपत पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त सुभाष के विरुद्ध मु०अ०सं० 707/2021, धारा 323, 504, 506, 307 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दिनांक 31.07.2021 को समय 21:30 बजे दर्ज की गई।

(ग)- पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 6 अ (प्रदर्श क-2) अभियुक्त सुभाष की निशांदेही से बरामद फर्द बरामदगी एक अदद फरसा सम्बन्धित मु०अ०सं० 707/2021, धारा

323, 504, 506, 307 भा०दं०सं० थाना बागपत, उ० नि० सचिन कुमार थाना बागपत द्वारा इस आशय के साथ प्रस्तुत की गयी कि- '...दिनांक 01.08.2021 को मैं उ० नि० सचिन कुमार मय का० 179 सचिन, का० 88 विनीत के साथ चौकी क्षेत्र सरूरपुर में वास्ते गश्त चैकिंग व तलाश वांछित अभियुक्तगण में मामूर था कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि आपके मुकदमे का अभियुक्त अपने मस्कन पर आया हुआ है इस सूचना पर मैं उ० नि० मय हमराहीयान के ग्राम फैजुल्लापुर में आया अभियुक्त सुभाष के मस्कन पर दबिश दी गयी अभियुक्त अपने मस्कन पर मौजूद मिला अभियुक्त सुभाष को इसके जुर्म धारा 323, 504, 506, 307 IPC से अवगत करा समय 12:30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त सुभाष से घटना में प्रयुक्त हथियार के बारे में सख्ती से पूछा तो इस व्यक्ति ने बताया कि साहब नैथला की तरफ जाने वाली सड़क पर इन्द्रपाल के भट्टे के सामने वाली टूवैल की छत पर घटना के बाद मैंने फेंक दिया था तथा डर की वजह से भाग गया था। इसके बाद मैं उ०नि० मय हमराहीयान के अभियुक्त को साथ लेकर अभियुक्त के बताये अनुसार ग्राम फैजपुर निनाना से नैथला की तरफ जाने वाले रास्ते पर आया। इन्द्रपाल के भट्ठे के सामने टूवैल से आगे-आगे चलकर अभियुक्त ने एक अदद फरसा छत से उतार कर यह कहते हुए मुझ विवेचक को प्राप्त कराया कि साहब यह वही फरसा है जिससे मैंने प्रशान्त पर वार किया था। गवाहान को तलाश किया गया किन्तु बुराई व रंजिश के कारण जनता के व्यक्ति गवाही हेतु नहीं मिल सके। बामजबूरी हमराहीयान के समक्ष बरामद फरसा को जिसके बेटा लकड़ी का लं० 2 बालिस्त 8 अंगुल बेटा लोहा चन्द्राकार जो बेटा में बोल्ट से कसा है, को एक कपड़े में रखकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। फर्द मौके पर मुझ एस०आई० द्वारा तैयार की गयी। फर्द हमराहीयान को पढ़कर सुनाकर गवाही गवाहान करायी गयी। दौराने बरामदगी मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया।'

3- तत्पश्चात् विवेचना, विवेचक द्वारा आरम्भ की गई। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटनास्थल का नक्शा-नजरी तैयार किया गया तथा गवाहान के बयान अंकित किये गये।

4- विवेचना समाप्त होने के पश्चात् विवेचक ने विस्तृत विवेचना कर, साक्ष्य इकट्ठा कर अभियुक्त **सुभाष** के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या- 691/21 (प्रदर्श क-4) धारा 323, 504, 506, 307 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

5- आरोप पत्र संख्या- 691/21 पर तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान दिनांक 30.10.2021 को लेने के उपरान्त अभियुक्त का विचारण अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 307 भा०दं०सं० के तहत किए जाने हेतु उक्त प्रकरण को दिनांक 21.05.2022 को सत्र न्यायालय के समक्ष सुपर्द किया गया। सुपुर्दगी आदेश के आधार पर तत्कालीन श्रीमान सत्र न्यायाधीश, बागपत द्वारा उक्त प्रकरण को सत्र परीक्षण संख्या 300/2022 (कम्प्यूटर नम्बर- 650/2022) के रूप में पंजीकृत किया गया तथा पत्रावली इस न्यायालय में अन्तरित की गयी।

6- प्रस्तुत आपराधिक अभियोग में अभियुक्त को न्यायालय में तलब किया गया। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित आने पर दिनांक 28.07.2022 को अभियुक्त सुभाष के विरुद्ध धारा 323, 504, 506, 307 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने विरचित आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग की।

7 (क)- अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी०डब्ल्यू० 01 राजीव, पी०डब्ल्यू० 02 प्रशान्त एवं पी०डब्ल्यू० 03 उ० नि० सचिन कुमार को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया।

(ख)- प्रलेखीय साक्ष्य में अभियोजन की ओर से तहरीर रिपोर्ट कागज संख्या 4 अ/4 **(प्रदर्श क-1),** फर्द बरामदगी एक अदद फरसा कागज संख्या 6 अ **(प्रदर्श क-2),** नक्शा-नजरी कागज संख्या 8 अ/1 **(प्रदर्श क-3),** आरोप-पत्र संख्या-691/21 कागज संख्या 3 अ/1 ता 3 अ/4 **(प्रदर्श क-4),** चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज संख्या 4 अ/1 ता 4 अ/3 **(प्रदर्श क-5),** जी०डी०नं०-61 कागज संख्या 5 अ **(प्रदर्श क-6),** सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट कागज संख्या 7 अ/2 **(प्रदर्श क-7)** एवं चुटैल प्रशान्त की चिकित्सीय आख्या कागज संख्या 7 अ/3 **(प्रदर्श**

क-8) पत्रावली पर दाखिल किये गये हैं, जिन्हें अभियोजन साक्षियों द्वारा साबित किया गया है।

8- अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा चलना बताया, अभियुक्त द्वारा घटनास्थल पर होने से इन्कार किया गया, उसके कब्जे से गलत व फर्जी बरामदगी दर्शित किया जाना बताया, अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया तथा यह भी कथन किया कि उसके कब्जे से फरसे की बरामदगी दर्शित की गयी है, जबकि एफ०आई०आर० में तलवार बतायी गयी है।

9- दौराने बहस बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण के द्वारा घटना को साबित नहीं किया गया। अभियुक्त द्वारा तथाकथित अपराध की घटना कारित नहीं की गयी। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण पक्षद्रोही हैं, जिनके द्वारा अपनी साक्ष्य के दौरान अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा दिनांक 31.07.2021 को 19:00 बजे, ग्राम फैजुल्लापुर, थाना बागपत, जनपद बागपत में वादी मुकदमा राजीव के चचेरे भाई प्रशान्त पर जान से मारने की नीयत से तलवार से कोई हमला नहीं किया गया है, न ही प्रशान्त के साथ गाली-गलौच व मारपीट की गयी है और न ही प्रशान्त को जान से मारने की धमकी दी गयी है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त के कब्जे से फर्जी एवं गलत बरामदगी दर्शित की गयी है, क्योंकि अभियोजन की ओर से फर्द बरामदगी में अभियुक्त के कब्जे से फरसे की बरामदगी दर्शित की गयी है, जबकि वादी द्वारा थाने पर दी गयी तहरीर में अभियुक्त द्वारा चुटैल प्रशान्त पर तलवार से वार किये जाना बताया है, अतः अभियुक्त की निशांदेही पर कोई बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त को तथाकथित घटना कारित करते हुए देखे जाने के सम्बन्ध में कोई भी स्वतन्त्र साक्षी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। जो भी साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं, वे पक्षद्रोही हैं तथा साक्षीगण के बयानों में परस्पर गम्भीर विरोधाभास हैं। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

10- दौराने बहस सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 31.07.2021 को 19:00 बजे, ग्राम फैजुल्लापुर, थाना बागपत, जनपद बागपत में वादी मुकदमा राजीव के चचेरे भाई प्रशान्त पर जान से मारने की नीयत से तलवार से हमला किया गया है, अभियुक्त द्वारा चुटैल प्रशान्त के साथ गाली-गलौच व मारपीट की गयी है और प्रशान्त को जान से मारने की धमकी भी दी गयी है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोपों को संदेह से परे साबित किया गया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाए।

11- न्यायालय द्वारा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी प्रपत्रों एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

निष्कर्ष

12- इस मामले में अभियुक्त **सुभाष** के विरुद्ध विरचित आरोपों के आधार पर इस न्यायालय द्वारा यह निस्तारित किया जाना है कि- क्या अभियुक्त **सुभाष** द्वारा दिनांक 31.07.2021 को 19:00 बजे, ग्राम फैजुल्लापुर, थाना बागपत, जनपद बागपत में वादी मुकदमा राजीव के चचेरे भाई प्रशान्त पर जान से मारने की नीयत से तलवार से हमला किया गया तथा अभियुक्त द्वारा चुटैल प्रशान्त के साथ गाली-गलौच व मारपीट की गयी तथा प्रशान्त को जान से मारने की धमकी दी गयी ?

13- अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण की परीक्षा निम्नवत् हैः-

(क)- अभियोजन की ओर से परीक्षित **साक्षी पी०डब्ल्यू० 01 राजीव** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि "दिनांक 31.07.2021 को मेरा चचेरा भाई प्रशान्त खेत से घर वापस आ रहा था करीब शाम के सात बजे का समय था खेत से वापिस आते समय रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति से उसकी कहा-सुनी हो गयी कहा सुनी के बाद अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे चचेरे भाई पर हमला कर दिया जिसमें वह घायल हो गया। सुभाष पुत्र प्रेम सिंह ने मेरे चचेरे भाई

प्रशान्त के साथ कोई मारपीट नहीं की थी और न ही तलवार से उसके ऊपर हमला किया था। घटना की रिपोर्ट किसी गाँव वाले से लिखवाकर थाने पर दी थी। मैंने तहरीर को पढ़ा नहीं था। उस पर केवल अपने हस्ताक्षर किये थे। तहरीर में मैंने सुभाष पुत्र प्रेम सिंह का नाम नहीं लिखवाया था। तहरीर लिखने वाले ने किसके कहने पर लिखा था, मैं नहीं बता सकता। पत्रावली पर दाखिल कागज संख्या 4 अ/4 देखकर गवाह ने उस पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की। तहरीर पर **प्रदर्श क- 1** डाला गया।"

(ख)- अभियोजन की ओर से परीक्षित **साक्षी पी०डब्ल्यू० 02 प्रशान्त** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि "दिनांक 31.07.2021 को मैं शाम के करीब 7 बजे अपने खेत से वापस आ रहा था। आते समय रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति से मेरी कहा सुनी हो गयी थी। अज्ञात व्यक्ति मेरे साथ गाली-गलौच करने लगा। मैंने गाली करने से मना किया तो उसने मेरे ऊपर चाकू से हमला कर दिया जिसकी चोट मेरे सर के पीछे की तरफ लगी थी। अज्ञात व्यक्ति मुझे जान से मारने की धमकी देता चला गया। अज्ञात व्यक्ति को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। न ही मैं उसे जानता था। सुभाष पुत्र प्रेम मेरे गाँव का रहने वाला है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। सुभाष ने मेरे ऊपर जान से मारने की नीयत से कोई हमला नहीं किया था। न ही सुभाष ने मेरे साथ गाली-गलौच की थी। न ही जान से मारने की धमकी दी थी।"

(ग)- अभियोजन की ओर से परीक्षित **साक्षी पी०डब्ल्यू० 03 उ० नि० सचिन कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि "दिनांक 31.07.2021 को मैं बतौर उपनिरीक्षक थाना बागपत पर तैनात था। थाना बागपत पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 707/2021, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 307 भारतीय दण्ड संहिता की विवेचना मुझे सुपुर्द की गयी। थाना कार्यालय से नकल चिक, नकल रपट, अन्य कागजात प्राप्त कर मेरे द्वारा विवेचना आरम्भ की गयी। चिक रपट की नकल केस डायरी में अंकित की गयी। मेडिकल भी केस डायरी में अंकित किया, ब्यान एफ०आई०आर० लेखक का० शुभम चौधरी, ब्यान वादी राजीव केस डायरी में अंकित किये। अभियुक्त सुभाष की गिरफ्तारी की गयी। अभियुक्त सुभाष की निशानदेही पर एक अदद फरसा ट्यूबैल की छत से बरामद किया, अभियुक्त का ब्यान केस डायरी में अंकित किया। वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा-नजरी तैयार किया गया। चुटैल की सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी नकल केस डायरी में की। वादी का मजीद ब्यान व चुटैल प्रशान्त के ब्यान केस डायरी में अंकित किये। गवाह रमेशचन्द, अनीता, नवनीत, पवन कुमार, राजपाल, भूवन, मोहनवीर, सुभाष पुत्र मुरारी के ब्यान केस डायरी में अंकित किये। बाद तमाम विवेचना ब्यान गवाह मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध को बखूबी साबित पाते हुए आरोप-पत्र प्रेषित किया। पत्रावली पर दाखिल कागज संख्या 6 अ फर्द बरामदगी देखकर गवाह ने बताया कि यह फर्द बरामदगी मेरे द्वारा तैयार की गयी जो मेरे हस्तलेख में है जिस पर मेरे साइन है शिनाख्त करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क-2** डाला गया। पत्रावली पर कागज संख्या 8 अ/1 को देखकर गवाह ने कहा कि यह नक्शा-नजरी मेरे द्वारा तैयार किया गया है जो मेरे हस्तलेख में जिस पर मेरे साइन हैं शिनाख्त करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क-3** डाला गया। पत्रावली पर दाखिल कागज संख्या 3 अ/1 ता 3 अ/4 को देखकर गवाह ने बताया कि यह आरोप-पत्र मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर तैयार कराकर प्रेषित किया गया है इस पर मेरे साइन है शिनाख्त करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क-4** डाला गया। न्यायालय की अनुमति से बरामदा माल फरसा खोला गया जो एक सफेद कपड़े में सील है जिसे देखकर गवाह ने बताया कि यह वही फरसा है जो अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद किया गया था। सफेद कपडे पर वस्तु प्रदर्श 1 व फरसा पर वस्तु प्रदर्श 2 डाला गया।"

14- इस मामले में अब उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण व दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों के आलोक में अभियोजन मामले को अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरापों की कसौटी पर परखा जाना है।

15- प्रश्नगत मामले में अभियोजन की ओर से कुल 03 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, जिसमें तथ्य के मात्र 02 गवाह हैं। अभियोजन की ओर से परीक्षित **साक्षी पी०डब्ल्यू० 01 राजीव** है, जिसके द्वारा प्रश्नगत मामले की तहरीर थाने पर यह देकर मुकदमा

पंजीकृत कराया गया है। यह साक्षी अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान ही पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा **साक्षी ने दौराने प्रति** परीक्षा कथन किये हैं कि 'घटना के समय मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। घटना की जानकारी मुझे किसी ने फोन पर दी थी। किसने फोन किया था मुझे उसका नाम याद नहीं है। जब मैं घटनास्थल पर पहुँचा तब मेरा चचेरा भाई घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। मेरे भाई ने हमला करने वाले का नाम मुझे नहीं बताया था। अभियुक्त सुभाष द्वारा हमला करना भी नहीं बताया था। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।' अभियोजन की ओर से परीक्षित **साक्षी पी०डब्ल्यू० 02 प्रशान्त** प्रश्नगत मामले का चुटैल है तथा यह भी एक पक्षद्रोही साक्षी है। साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा **साक्षी ने दौराने प्रति परीक्षा** कथन किये कि 'घटना की रिपोर्ट मेरे ताऊ के लड़के राजीव ने लिखायी थी। किसी अन्य से लिखाकर तहरीर दी थी। मुझे नहीं पता तहरीर किसने लिखी थी। मैंने राजीव को हमला करने वाले किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया था। राजीव ने किसके कहने से सुभाष का नाम लिख दिया, मैं नहीं बता सकता। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।' **इस प्रकार** अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षीगण की साक्ष्य को यदि देखा जाए तो अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू० 01 राजीव के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान प्रश्नगत मामले की तहरीर गाँव के किसी व्यक्ति से लिखवाकर थाने पर देने का कथन किया तथा इस तहरीर को प्रदर्श क-1 के रूप में साबित भी किया है, परन्तु साक्षी ने चुटैल प्रशान्त के साथ तथाकथित घटना कारित करने में अभियुक्त सुभाष का नाम नहीं लिया, बल्कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चुटैल प्रशान्त के साथ गाली-गलौच व मारपीट किये जाना बताया है। साक्षी ने प्रति परीक्षा के दौरान भी कथन किये हैं कि **घटना के समय वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। घटना की जानकारी उस किसी ने फोन पर दी थी। किसने फोन किया था उसे, उसका नाम याद नहीं है। जब वह घटनास्थल पर पहुँचा तब उसका चचेरा भाई घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके भाई ने हमला करने वाले का नाम उसे नहीं बताया था। अभियुक्त सुभाष द्वारा हमला करना भी नहीं बताया था।** साक्षी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० के कथनों से भी इन्कार करते हुए कथन किया है कि दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। अतः इस साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन किसी भी सीमा तक नहीं होता है। अभियोजन की ओर परीक्षित तथ्य का अन्य **साक्षी पी०डब्ल्यू० 02 प्रशान्त, जो प्रश्नगत मामले में चुटैल है**, यह भी एक पक्षद्रोही साक्षी है जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षा के बयानों के दौरान कथन किये हैं कि 'दिनांक 31.07.2021 को मैं शाम के करीब 7 बजे अपने खेत से वापस आ रहा था। आते समय रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति से मेरी कहा सुनी हो गयी थी। अज्ञात व्यक्ति मेरे साथ गाली-गलौच करने लगा। मैंने गाली करने से मना किया तो उसने मेरे ऊपर चाकू से हमला कर दिया जिसकी चोट मेरे सर के पीछे की तरफ लगी थी। अज्ञात व्यक्ति मुझे जान से मारने की धमकी देता चला गया। अज्ञात व्यक्ति को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। न ही मैं उसे जानता था। सुभाष पुत्र प्रेम मेरे गाँव का रहने वाला है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। सुभाष ने मेरे ऊपर जान से मारने की नीयत से कोई हमला नहीं किया था। न ही सुभाष ने मेरे साथ गाली-गलौच की थी। न ही जान से मारने की धमकी दी थी।' साक्षी ने **दौराने प्रति परीक्षा** कथन किये कि **घटना की रिपोर्ट उसके ताऊ के लड़के राजीव ने लिखायी थी। किसी अन्य से लिखाकर तहरीर दी थी। उसे नहीं पता तहरीर किसने लिखी थी। उसने राजीव को हमला करने वाले किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया था। राजीव ने किसके कहने से सुभाष का नाम लिख दिया, वह नहीं बता सकता।** साक्षी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० के कथनों से इन्कार करते हुए कथन किया है कि उसने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, दरोगा जी कैसे लिख लिया वह नहीं बता सकता। इस प्रकार यह साक्षी प्रश्नगत मामले का चुटैल है, जिसके साथ अभियुक्त सुभाष द्वारा प्रश्नगत मामले की घटना कारित किया जाना अभियोजन की ओर से कहा गया है, परन्तु इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा के बयानों के दौरान स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसके साथ घटना किसी अज्ञात व्यक्ति ने कारित की थी, उस अज्ञात व्यक्ति को वह नहीं जानता और न ही उसने पहले कभी उस अज्ञात व्यक्ति को देखा था। साक्षी द्वारा अपने बयानों में यह भी साक्ष्य

दी गयी कि अभियुक्त सुभाष के द्वारा उसके साथ कोई घटना नहीं कारित की गयी और न ही उसने अपने ताऊ/वादी मुकदमा राजीव को घटना कारित करने वाले व्यक्ति में सुभाष का नाम बताया गया, उसके ताऊ ने कैसे अभियुक्त सुभाष का नाम प्रश्नगत मामले की घटना कारित करने में लिखा दिया, वह नहीं जानता। इस प्रकार इस साक्षी के बयानों से भी अभियोजन के कथानक को किसी सीमा तक भी बल नहीं मिलता है। इस प्रकार तथ्य के साक्षीगण पी०डब्ल्यू० 01 राजीव व पी०डब्ल्यू० 02 प्रशान्त के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, बल्कि अभियुक्त के द्वारा कथित घटना कारित किये जाने से पूर्णतया इनकार किया गया है।

16- अभियोजन की ओर से पत्रावली पर फर्द बरामदगी कागज संख्या 6 अ (प्रदर्श क-2) प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अभियोजन द्वारा, अभियुक्त सुभाष की निशांदेही से फरसा बरामद किये जाना अंकित है, जबकि प्रश्नगत मामले की तहरीर प्रदर्श क-1 में अभियुक्त सुभाष द्वारा, चुटैल प्रशान्त पर तलवार से हमला किया जाना बताया गया है। इस प्रकार **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू० 03 उ० नि० सचिन कुमार** द्वारा अभियुक्त सुभाष से की गयी बरामदगी भी संदिग्ध प्रतीत होती है, जिससे अभियोजन मामले में संदेह उत्पन्न होता है।

17- चूंकि वर्तमान मामले में तथ्य के साक्षीगण पी०डब्ल्यू० 01 राजीव तथा पी०डब्ल्यू० 02 प्रशान्त को पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा अभियोजन की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए तथ्य के किसी अन्य गवाह को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जोधराज सिंह बनाम राजस्थान राज्य 2007 Cr.L.J. पेज 294** तथा **गोरा बनाम राजस्थान राज्य 2001 Cr.L.J. पेज 487** के मामले में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि *'पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य से यदि अभियोजन कथानक की पुष्टि किसी सीमा तक होती है तब स्वतन्त्र साक्ष्य से उनके कथन की पुष्टि किसी सीमा तक होने की दशा में अभियुक्त को दोषी माना जा सकता है।'* लेकिन वर्तमान मामले में अभियोजन की ओर से तथ्य के जो साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं, उनके साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किसी सीमा तक नहीं किया गया है, बल्कि अभियुक्त के अपराध में शामिल होने के तथ्य से पूर्णतया इनकार किया गया है। ऐसी स्थिति में पक्षद्रोही साक्षीगण के बयानों के किसी अंश के आधार पर अभियुक्त को दोषी माना जाना न्यायसंगत नहीं है।

18- विधि व्यवस्था **नरेन्द्र कुमार बनाम राज्य NCT of Delhi 2012 Cr.L.J. 3033 S. C.** के प्रकरण में यह विधि व्यवस्था अवधारित की गई है कि *अभियोजन पक्ष को अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना पड़ता है।* माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **नजीर वासुदेव बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) 2 एस० सी० सी० (क्रिमिनल) 2018** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि *अभियोजन को अपना केस युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है तथा दोषसिद्धि केवल उपधारणा के आधार पर नहीं की जा सकती है।* किन्तु इस प्रकरण में अभियोजन अपने साक्ष्य से अभियुक्त सुभाष के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

19- अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये अन्य साक्षी पी०डब्ल्यू० 03 उ०नि० सचिन कुमार मात्र औपचारिक साक्षी हैं, जिनके द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया गया है तथा इस साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन तथ्य के साक्षियों के साक्ष्य से किया जाना है, जबकि तथ्य के साक्षियों ने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उक्त औपचारिक साक्षी के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध साबित नहीं माना जा सकता है।

20- अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त सुभाष के विरुद्ध आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा-323, 504, 506, 307 भा०दं०सं० को विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त सन्देह का लाभ प्राप्त करते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

सत्र परीक्षण कम्प्यूटर संख्या- **650/2022**
सरकार बनाम सुभाष

<u>आदेश</u>

1- अभियुक्त **सुभाष** को सत्र परीक्षण कम्प्यूटर संख्या- 650/2022, मु०अ०सं०-707/2021, अन्तर्गत धारा- 323, 504, 506, 307 भा०दं०सं०, थाना बागपत, जनपद बागपत के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

2- अभियुक्त सुभाष प्रश्नगत मामले में जमानत पर है जो आज स्वयं न्यायालय में हाजिर आया। अभियुक्त के निजीबन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उसके प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

3- अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा 437(ए) दं०प्र०सं० के प्राविधानों के अन्तर्गत मु० 25,000/- रुपये का स्व बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रति-भू अन्दर सप्ताह दाखिल करना सुनिश्चित करे। अभियुक्त को यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि इस निर्णय के विरुद्ध माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील की जाती है एवं उसे तलब किया जाता है तो वह वहाँ उपस्थित होगा। यह बन्धपत्र छह माह की समायवधि तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांकः 10.03.2026

पूनम राजपूत
अपर सत्र न्यायाधीश/
न्यायालय संख्या- 01, बागपत।

उक्त निर्णय, आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 10.03.2026

पूनम राजपूत
अपर सत्र न्यायाधीश/
न्यायालय संख्या- 01, बागपत।